


तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  
जगदीश बनाम नायब तहसीलदार अजीतगढ  
मु0नं0 16/2020



नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

17.09.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी एवं वकील अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी एवं वकील अपीलार्थी को कई बार आवाज लगाई गई। अंतिम आवाज सायं 05.00 बजे लगवाई गई परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः अपील अपीलार्थी अदम हाजरी अदम पेरवी में खारीज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो।

  
(बाबूलाल गोयल)  
अति.संभागीय आयुक्त,  
जयपुर

16  
2020



17/18

श्री सागर का 15  
हरा पेशे अगुआ

माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी महोदय, सीकर

2020/00222

जगदीश पुत्र सुरजाराम जाति माली निवासी मानगढ तहसील श्रीमाधोपुर  
जिला सीकर राज0 M.Sy. 32047327

अपीलांट

ब ना म

नायब तहसीलदार महोदय अजीतगढ जिला सीकर।

रेस्पोंडेन्ट

रीडर  
रेपोर  
RDB  
31-8-18

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 31.07.2018  
न्यायालय अपर जिला कलेक्टर महोदय सीकर  
प्रकरण अनुवानी अर्जुन बनाम नायब  
तहसीलदार मु.नं. /2017 व आज्ञा दिनांक  
06.12.2017 न्यायालय नायब तहसीलदार  
अजीतगढ प्रकरण अनुवानी सरकार बनाम  
जगदीश मु.नं. /2017 अं0 धारा 91  
राजस्थान ले.रे.एक्ट  
अपील अं0 धारा 76 राज.ले.रे.एक्ट

मान्यवर,

संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि पटवारी हल्का  
जुमलपुरा ने स्थानीय पार्टीबाजी के आधार पर अपीलांट के विरुद्ध इस  
आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि अपीलांट भूमि खसरा नम्बर 457 रकबा  
0.48 हैक्टर में से 0.02 हैक्टर भूमि पर नाजायज रूप से डोल लगाकर  
अतिक्रमण कर लिया उक्त रिपोर्ट रेस्पोंडेन्ट के यहां प्रस्तुत होने पर  
प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलांट को जरिए नोटिस तलब किया, जिस  
पर अपीलांट योग्य अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित आया व अपना  
जबाब नोटिस इस आशय का प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि अपीलांट व

L. R. J. J. J. J.